2019/00450

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 36/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

राजूलाल शर्मा पुत्र श्री गणेश नारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नींदड तहसील आमेर जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री जगत राजेश्वर आर ए एस उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण
2. गणेश नारायण पुत्र स्व॰ लादू
3. गौरी शंकर पुत्र स्व॰ लादू
4. प्रेमचन्द पुत्र स्व॰ लादू
5. सीताराम पुत्र स्व॰ लादू
6. चांद देवी बेवा स्व॰ लादू

   समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नींदड, तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. मैसर्स त्रिवेणी वैल बिल्ड वे प्रा॰ लि॰ जरिये निदेशक श्री रामचन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री बद्रीनारायण अग्रवाल निवासी प्लाट नं॰ 9 गोपालपुरा, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 78/2019 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 39/2019 ब उनवानी राजूलाल बनाम गणेश नारायण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने बाबत।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

उपस्थितः—

1. श्री बनवारी शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री महावीर प्रसाद शेरावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 31-10-2019

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण के समक्ष प्रकरण संख्या 78/2019 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 39/2019 ब उनवानी राजूलाल बनाम गणेश नारायण व अन्य विचाराधीन है। जिसमें अभी हाल ही में दिनांक 25.04.2019 को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 ने प्रार्थी को ग्राम में धमकी दी कि हमारी एस डी ओ साहब से बात हो चुकी है और तुम्हारे दावे को शीघ्र ही खारिज कर देंगे। अभी हाल ही में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 ने पुनः प्रार्थी को धमकी दी कि अब जल्दी ही एस डी ओ साहब तुम्हारा दावा खारिज कर देंगे, हमारी एस डी ओ साहब से बात हो गई है। जिस पर प्रार्थी अपने मुकदमें की जानकारी एवं अपने अधिवक्ता से वार्तालाप करने दिनांक 29.04.2019 को न्यायालय में गया तो, अप्रार्थी संख्या 2 व उसके

जिला कलक्टर
जयपुर

वकील साहब को एस डी ओ साहब के चैम्बर में से बाहर आते देखा, प्रार्थी को चैम्बर के बाहर खडा देख कर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उसका दावा खारिज कराने की धमकी दी। अप्रार्थी संख्या 2 की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हुआ। जब अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गया है तो फिर प्रार्थी को न्याय न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई आशा नहीं है। प्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है जो अपने वैद्यानिक अधिकारों के लिए लड रहा है। अप्रार्थीगण अपनी गैर कानूनी हरकतों से पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर प्रार्थी के दावे को खारिज करा देंगे तो प्रार्थी अपने वैद्यानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा । ऐसी स्थिति में न्याय की दृष्टि से प्रार्थी के मुकदमें को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। विपक्षी संख्या 7 की ओर से वकील श्री महावीर प्रसाद शेरावत ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. उभयपक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण से प्राप्त टिप्पणी का भलीभांति अवलोकन किया गया।

5. प्रकरण में उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

6. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण को प्रेषित हो । पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

7. निर्णय आज दिनांक 31-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर